सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र संख्याः–88/प्रेसनोट/2019 दिनांक–27 अप्रैल 2019

<u>*सराहनीय कार्य*</u>

थाना-फुलपुर

अन्तर्जनपदीय गैंग का सरगना 25 हजार पुरस्कार घोषित शातिर व हिस्ट्रीशीटर बदमाश पुलिस मुठभेड़ मे घायल

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत ***पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रो. त्रिवेणी सिंह*** द्वारा अपराध व अपराधियों पर अंकुश लगाने हेतु जनपद-आजमगढ़ में चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत प्रभारी निरीक्षक फुलपुर श्री शिव शंकर सिंह मय हमराह द्वारा फुलपुर कस्बे मे चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन व्यक्ति दिखायी दिये। पुलिस बल द्वारा रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल की गति बढ़ाकर भागने लगे। प्रभारी निरीक्षक फुलपुर मय हमराह ने मोटरसाइकिल सवार संदिग्ध व्यक्तियों का पीछा करते हुए, जरिए आरटी सेट के जनपद नियंत्रण कक्ष को सूचना दिये। आरटी सेट के सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुये संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ने के लिए थानाध्यक्ष दीदारगंज श्री मनोज कुमार सिंह मय हमराह द्वारा सामने से घेराबंदी किया गया। अभियुक्तो ने खुद को दोनो तरफ से घिरा देखकर जानसे मारने की नियत से पुलिस बल पर फायर कर दिया। जिससे प्रभारी निरीक्षक फुलपुर के बुलेट प्रुफ जैकेट मे गोली लग गई। पुलिस टीम द्वारा जवाबी फायरिंग मे एक अभियुक्त गोली लगने से घायल हो गया तथा उसके दो साथी मौके का फायदा उठाकर भागने मे सफल रहा। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्र मे काम्बिंग किया जा रहा हैं।

पुछताछ मे घायल अभियुक्त की पहचान 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित शातिर अन्तर्जनपदीय बदमाश मु0 एकराम अंसारी पुत्र मु0 सलीम, निवासी-कोडी, थाना-बड़ागाँव, जनपद-वाराणसी के रूप में हुआ। *अभियुक्त थाना-बड़ागाँव, जनपद-वाराणसी का हिस्ट्रीशीटर हैं जिसका एच.एस.संख्या 15ए हैं।* अभियुक्तों का एक गैंग हैं जो लूट व भाड़े पर हत्या करते हैं। गैंग का सरगना मु0 एकराम अंसारी ही हैं। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु जिलाचिकित्सालय, आजमगढ़ लाया गया। जहाँ से चिकित्सको द्वारा हायर सेन्टर वाराणसी के लिए रेफर किया गया।

अभियुक्त मु0 एकराम अंसारी पुत्र मु0 सलीम, निवासी-कोडी, थाना-बड़ागाँव, जनपद-वाराणसी ने अपने साथी के साथ मिलकर दिनाँक-04/04/2019 को थाना क्षेत्र महराजगंज के कटान बाजार के पास अभिनन्दन कुमार को भयभीत कर 1 लाख 51 हजार रूपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-65/19 धारा 392 भादवि, पंजीकृत किया गया था। उपरोक्त मुकदमा में अभियुक्त मु0 एकराम 25 हजार रूपये पुरस्कार व वांछित चल रहा था।

उपरोक्त गैग के सदस्यों द्वारा दिनाँक-08.04.2019 व दिनाँक-15.04.2019 को सिकरौल बाजार, थाना-सरायमीर में लूट की घटना करने के लिए रैकी किया गया था, मौका ना मिलने की वजह से घटना को अंजाम नही दे पाये थे। इसी क्रम में आज दिनाक-27.04.2019 अभियुक्तगण द्वारा फुलपुर कस्बे मे एक बड़ी ज्वैलरी को दुकान लूटने की नियत से थानाक्षेत्र में मौजूद थे कि पुलिस मुठभेड़ में एक अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. मु0 एकराम अंसारी पुत्र मु0 सलीम, निवासी-कोडी, थाना-बड़ागाँव, जनपद-वाराणसी।

फरार अभियुक्त

01. फहीम उर्फ ओजैफा उर्फ मोटे, निवासी-सजनी, थाना-अहरौला, आजमगढ़।
02. चाचा नाम व पता अज्ञात।

बरामदगी

01.एक अदद पिस्टल 32 बोर।
02. दो अदद जिन्दा कारतूस 32 बोर।
03. दो अदद खोखा कारतूस 32 बोर

अपराधिक इतिहास

01. मु0अ0सं0-219/07 धारा 379/411 भादवि, थाना-भेलूपुर, वाराणसी।
02. मु0अ0सं0-279/07 धारा 379/411 भादवि, थाना-जन्सा, वाराणसी।
03. मु0अ0सं0-353/07 धारा 41/411/467/468 भादवि, थाना-भेलूपुर, वाराणसी।
04. मु0अ0सं0-176/09 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना-बड़ागांव, वाराणसी।
05. मु0अ0सं0-177/09 धारा 8/25 एनडीपीएस, थाना- बड़ागांव, वाराणसी।
0.6 मु0अ0सं0-267/09 धारा गैगेस्टर एक्ट, थाना-बड़ागांव, वाराणसी।
07. मु0अ0सं0-133/09 धारा 392/411 भादवि, थाना-दशाश्वमेध, वाराणसी।
08. मु0अ0सं0-228/14 धारा 394/411 भादवि, थाना-बड़ागांव, वाराणसी।
09. मु0अ0सं0-71/15 धारा 174(A) भादवि, थाना- बड़ागांव, वाराणसी।
10. मु0 मु0अ0सं0-71/15 धारा 174(A) भादवि, थाना- बड़ागांव, वाराणसी।
11. मु0अ0सं0-148/17 धारा 395/397/412 भादावि, थाना-जाफरगंज, फतेहपुर।
12. मु0अ0सं0-65/19 धारा 392 भादवि, थाना-महराजगंज, आजमगढ़।